कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No–01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 6103 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 20/06/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 है0 (पूर्व में 4.72 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/0/2019 एफ0सी0/ 2383 दिनांक 26–02–2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 1– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि रूपये 20,24,637/– की संशोधित वृक्षारोपण योजना की मूल प्रति प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 6103 /12-1 दिनाँकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी0एम0जी0एस0वाई0) प्रखण्ड कर्णप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

o/c

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

Phone/Fax- 01363-244843 **E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com**

पत्रांक 147 /चार–प्रावि0/वनभूमि पत्रा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2021–22, दिनांक 02/05/2022,

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग हेतु 3.3025 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/21220/2016)।**

सन्दर्भः– **1:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06 /70/2019/एफ0सी0/2912, दिनांक 13.03.2020**
2:–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2103/ FP/UK/ROAD/21220/2016, दिनांक 08.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 109, दिनांक 30.05.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई है। **जिसकी पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।**

अवगत कराना है, कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/70/2019/एफ0सी0/2383, दिनांक 26.02.2021 द्वारा वृक्षारोपण योजना के वर्तमान दर की प्रतिलिपि पत्र तथा रू0 20,24,637.00 की संशोधित वृक्षारोपण योजना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्तानुसार **वृक्षारोपण योजना के वर्तमान दर की प्रतिलिपि पत्र (संलग्न है) एवं रू0 2024637.00 मात्र की संशोधित वृक्षारोपण योजना का आंगणन मूल में संलग्न कर** इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि उक्तानुसार वर्तमान दर की प्रतिलिपि एवं संशोधित वृक्षारोपण योजना आंगणन अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव नोडल स्तर से विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित किया जा सकें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण योजना के वर्तमान दर की प्रतिलिपि पत्र एवं संशोधित वृक्षारोपण योजना का आंगणन।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
2:– अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर (मु0गौचर)।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

Phone/Fax- 01363-244843 E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 109 /चार–प्रावि0/वनभूमि पत्रा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2020–21, दिनांक 30 /05/2020,

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज–16 के बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/70/2019/एफ0सी0/2912, दिनांक 13.03.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तो के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार तीन प्रतियों में आपकी सेवा में विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

क्र0 स0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण**	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050 है0 अवनत् वनभूमि मल्ला चांदपुर II क0न0 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
ख	कम से कम पचास प्रतिशत "ओक" प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में LA नम्बर 556, दि0 30.10.2002, 01.08.2003.28.03.2008.24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0.सी0 ,दिनांक 03.10.2006 एंव 5:3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षो तक रखरखाव एवं एन0पी0बी0 की देय धनराशि मु0 48,14,405.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि0 27.05.2020 द्वारा Carporation Bank, Lodhi Comlex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है **(छायाप्रति संलग्न)।**
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन0पी0बी0 की धनराशि किये जाने सम्बन्धी **"बचनबद्धता प्रमाण पत्र"** संलग्न है।

क्रमशः...........2

क्र0 स0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 846 including 288 saplings पेडो से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 के अनुपालन में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। उक्त मार्ग के संरेखण में पेडो की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी जायेगी।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित जमा किये जायेगें।	शर्त मान्य है।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
11	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आटस प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रयाप्त लकड़ी,विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकंन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

भवदीय,
30/5/2020
अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग पर यदि एन0पी0बी0 की दरों में वृद्धि की जायेगी तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

30/8/2020

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾ 3:50:37 PM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

o.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
	FP/UK/ROAD/21220/2016 construction of Bakriya Bend to Chhimta link Motor Road under PMGSY.	ROAD212202016097	6121220097	13 Mar 2020	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 2789763/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4814405/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- C. A. : 2024637/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 19 Mar 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 06 May 2020 Transaction Date : 27 May 2020	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/27732/2017 Construction of Tharali Kurar Motor Road, km-15 to Gummar Lagga Gerur Link Motor Road under PMGSY in phase-XVI	ROAD277322017015	6127732015	17 Dec 2019	CA: 1118838/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1542125/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2660963/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Jan 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 16 Jan 2020 Transaction Date : 30 Jan 2020	Demand Letter Generated Challan

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone / Fax No-01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 516 /12–1 गोपेश्वर, दिनांक 16-04-2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0एम0जी0एस0वाई, प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली के में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3015 है0(पूर्व में 4.72 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/70/2019/एफ0 सी0 /2912 दिनांक 13–03–2020

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित परियोजना निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नाँनुसार जमा की जानी हैः–

क्र0स0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(है0 में)	दर प्रति है0	कुल धनराशि (रू0 में)
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	6.6050 है0	3,06,531.00	20,24,637.00
2	एन0पी0वी0 (घनत्व .5)	3.3015 है0	845000.00	27,89,768.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में यथाशीघ्र विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 1093 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 7–9–2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज–16 के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0 पी0/06/70/2019/एफ0सी0/2912 दिनांक 13.03.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 स0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण**	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050है0 अवनत वनभूमि मल्लाचादपुर II क0स0 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायगा।	शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त मान्य है।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में LAनम्बर 556, दि0 30.10.2002, 01.08.2003.28.03.2008. 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0.सी0 ,दिनांक 03.10. 2006 एंव 5:3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षो तक रखरखाव एवं एन0पी0बी0 की देय धनराशि मु0 48,14,405 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGSके माध्यम से दि0 27.05.2020 द्वाराCarporation Bank,Lodhi Comlex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003में जमा की जा चुकी है **(छायाप्रति संलग्न)**।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अनिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन0पी0बी0 की धनराशि किये जाने सम्बन्धी **"बचनबद्धता प्रमाण पत्र"** संलग्न है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग के पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विशयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 1093 /12-1 दिनाँकित

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

JE(+)/AE(Nodal)
15/1/2020

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 70 / 2019 / एफ0सी0 /2912 दिनांक: 13 / 03 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 हे0 (पूर्व में 4.72 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 452/x-4-19/1(40)/2019 दिनांक 20.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/21220/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.02.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – **जनपद– चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 हे0 (पूर्व में 4.72 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050 हे0 अवनत वन भूमि मल्ला चांदपुर II क.न. 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
   ख) कम से कम पचास प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **3.3025** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 846 including 288 saplings पेड़ो से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौंधों की संख्या बढ़ाएगा।
10. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
11. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र /वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
85–राजपुर रोड, देहरादून।

सेवा में, पत्रांक:–972/3–5–2 देहरादून:दिनांक: 21, नवम्बर, 2017

समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:– वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष देय धनराशियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या–596/3–5–2 दिनांक 19–08–2015.

महोदय,

वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित की जानी वाली वन भूमि के एवज मे समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षो के रोपण, वन भूमि पर प्रस्तावित मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण 1.00 हे0 से कम के प्रकरणों में रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव एवं मलवा निस्तारण स्थलों के उपचार हेतु उचित वृक्षारोपण आदि की शर्त लगाई जाती है। उक्त वृक्षारोपण कार्यो हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या–एल–642/14–3–627/89 दिनांक 30–11–1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरो का निर्धारण किया गया था, जिसमें प्रति वर्ष दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्राविधान भी था।

2– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण, बौनी प्रजातियों के वृक्षो के रोपण, मोटर मार्गो के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण एवं रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की दरे वसूली वर्ष 2017–18 तक निर्धारित की गयी है। अतः वर्ष 2018–19 से वर्ष 2020–2021 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक 30–11–1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार पुनः निर्धारण किया जाता हैः–

वित्तीय वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0 (रू0 में)	बौनी प्रजाति का वृक्षारोपण प्रति हे0 (रू0 में)	रोड साइड वृक्षारोपण की प्रति कि0मी0। (रू0 में)	रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षा0 (रू0 में)
2018–19	2,78,665.00	2,78,665.00	4,17,827.00	1100.00 प्रति वृक्ष
2019–20	3,06,531.00	3,06,531.00	4,59,610.00	1210.00 प्रति वृक्ष
2020–21	3,37,184.00	3,37,184.00	5,05,571.00	1331.00 प्रति वृक्ष

अतः उपरोक्त तालिका के वित्तीय वर्ष के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी से धनराशि जमा करायी जाय, परन्तु यदि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय वर्ष में निर्धारित दरों के अनुसार धनराशि जमा करायी जा चुकी हो, तो उनसे बकाया धनराशि वसूल करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

संख्या –972/3–5–2 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक(केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ/शिवालिक जोन, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

(राजेन्द्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

05964-225-236

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 591/3-5-2 देहरादून:दिनांक 18 अगस्त, 2015

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:-वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष देय धनराशियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या 86/3-5-2 दिनांक 06-07-2013

महोदय,

वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त लगायी जाती है। इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, वन भूमि पर प्रस्तावित मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण, 1.00 हे0 से कम के प्रकरणों में आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की 10 गुनी संख्या में वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव एवं मलवा निस्तारण स्थलों के उपचार हेतु उचित वृक्षारोपण आदि की शर्त लगायी जाती है। उक्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या एल-642/14-3-627/89 दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरों का निर्धारण किया गया था, जिसमें प्रति वर्ष दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्राविधान भी था।

2- प्रायः देखा जा रहा है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पारेषण लाईन के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षारोपण 100 वृक्षों के रोपण एवं प्रभावित वृक्षो के 10 गुनी संख्या में वृक्षों के रोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तदर्थ निधि कोष नई दिल्ली में जमा करायी जाती है, जो कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को समय से वृक्षारोपण कार्यों हेतु प्राप्त नहीं होती है। प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा उक्त कार्यों हेतु नर्सरी, अग्रिम मृदा कार्य आदि कराया जाता है तथा वृक्षारोपण कार्य लगभग तीन वर्ष के बाद होता है, तब तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत बढ़ जाती है, जिसके कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य करने में कठिनाई होती है।

3- यद्यपि रोपण दरे स्थल विशेष होती है तथापि दरों में एक रूपता को मध्य नजर रखते हुए प्रयोक्ता एजेन्सी से तीन वर्ष के बाद की सभांवित दरों पर धनराशि वसूल किया जाना उचित है। अतः वर्ष 2013 को निर्धारित कर शासनादेश दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में निम्न प्रकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों का पुनः निर्धारण किया जाता है :-

वसूली वर्ष	रोपण वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0।	बौंनी प्रजाति का वृक्षारोपण प्रति हे0।	रोड साइड वृक्षारोपण प्रति कि0मी0।	रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षो का वृक्षारोपण। (रु0 में)
-	2013-14	1,30,000.00	1,30,000.00	200,000.00	निर्धारण नहीं
-	2014-15	1,43,000.00	1,43,000.00	2,20,000.00	निर्धारण नहीं
-	2015-16	1,57,300.00	1,57,300.00	2,42,000.00	1000.00 प्रति वृक्ष
-	2016-17	1,73,030.00	1,73,030.00	2,66,200.00	1000.00 प्रति वृक्ष
-	2017-18	1,90,333.00	1,90,333.00	2,92,820.00	1000.00 प्रति वृक्ष
2015-16	2018-19	2,09,366.00	2,09,366.00	3,22,102.00	1000.00 प्रति वृक्ष
2016-17	2019-20	2,30,302.00	2,30,302.00	3,45,312.00	1000.00 प्रति वृक्ष
2017-18	2020-21	2,53,332.00	2,53,332.00	3,79,843.00	1000.00 प्रति वृक्ष

अतः उपरोक्त तालिका के अनुसार वसूली वर्ष के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी से धनराशि जमा करायी जाय। परन्तु पूर्व में यदि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि जमा करायी जा चुकी हो तो उनसे बकाया धनराशि वसूल करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(श्रीकान्त चन्दोला)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No–01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 5247 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 12/4/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)

प्रखण्ड कर्णप्रयाग

विषयः– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गई क्षतिपूरक धनराशि के प्राक्कलन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका का पत्रांक 701/ चार–प्रा0वि0/वन भूमि/2022– दिनांक 23–12–2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है, आपके द्वारा निम्नाँकित प्रस्तावों के विरूद्व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशियों से सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर आपको अग्रेत्तर कार्यावाही हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

क0सं0	परियोजना का नाम	वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (है0में)	दर प्रति है	जमा की गई धनराशि
1	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना के अन्तर्गत बूंगीधार मैहलचौरी बछुवाबाण मोटरमार्ग किमी0 42.00 से देवपुरी लिंक मोटर मार्ग हेतु 4.98 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।	9.96	3,37,184.00	33,58,352.00
2	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज–14 के अन्तर्गत जंगलचट्टी (खेती) से सिराणा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन	5.95	2,53,332.00	15,07,325.00
3	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लामबगड़ (नैलबैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4165 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।	4.843	3,37,184.00	16,32,982.00
4	जनपद चमोली में बूंगीधार–मेहलचौरी–बछुवाबाण मोटर मार्ग कि.मी. 12 से कोलानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.775 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यातर्वन।	5.55	3,37,184.00	18,71,371.00
5	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है0 (पूर्व में 4.72 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।	6.6050.00	3,06,531.00	20,24,637.00

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रपत्र–35

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में बकरियाबैण्ड से छिमटा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के ऐवज में दो गुने क्षेत्रफल 6.605 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम :–मल्ला चाँदपुर II – क0सं0 4 में 6.605है0।

रेंज :–धनपुर | प्रभाग का नामः– केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

क्षेत्रफल :– 6.605है0 | रोपित किये जाने वाले पौधों की सं0 :–7266 पौध।

क0सं0	कार्य का विवरण (प्रथम वर्ष)	मात्रा	इकाई	इकाई दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य करना	6.605	है0	151.00	997.36
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान आदि)	6.605	है0	5050.00	33355.25
3	दीवाल बन्दी (फैन्सिंग)	6.605	है0	28026.00	185111.73
4	भूमि एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	6.605	है0	9859.00	65118.70
5	गढ्ढे खुदान (0.30X0.30X0.45) रेखांकन सहित	7266	सं0	9.34	67864.44
6	निरीक्षण बटिया बनाना	6.605	है0	600.00	3963.00
7	पौधों का मूल्य	7266	सं0	9.00	65394.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	6.605	है0	400.00	2642.00
9	अन्य कार्य	-	ल0स0	101000.00	101000.00
				कुल योग–	**525446.47**
	द्वितीय वर्ष				
1	गढ्ढो का भरान (0.30X0.30X0.45)	7266	सं0	1.78	12933.48
2	पौधों का मूल्य	7266	सं0	2.13	15476.58
3	पौध का ढुलान कार्य	7266	सं0	11.00	79926.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	7266	सं0	3.46	25140.36
5	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	7266	सं0	4.43	32188.38
6	खाद व दवा पर व्यय	6.605	है0	234.00	1545.57
7	वृक्षारापेण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय 7 माह	6.605	है0	595 Hec/Month	27509.83
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास , फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	6.605	है0	500.00	3302.50
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरवाढ़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना।	2.00	प्रति किमी0	471.00	942.00

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्र पोखर

प्रपत्र–35

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में बकरियाबैण्ड से छिमटा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के ऐवज में दो गुने क्षेत्रफल 6.605 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम :–मल्ला चाँदपुर II – क0सं0 4 में 6.605है0।

रेंज :–धनपुर   प्रभाग का नामः– केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

क्षेत्रफल :– 6.605है0   रोपित किये जाने वाले पौधों की सं0 :–7266 पौध।

क्रसं0	कार्य का विवरण (प्रथम वर्ष)	मात्रा	इकाई	इकाई दर	धनराशि
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना ।	-	ल0स0	20000.00	20000.00
9	अन्य व्यय साईनबोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डोक्यूमेंन्टेशन आदि कार्य	-	ल0स0	34000.00	34000.00
10	अन्य कार्य	-	ल0स0	80000.00	80000.00
				कुल योग–	332964.70
	तृतीय वर्ष 10%				
1	पुनः गढढा खोदना व पौध रोपण कार्य	727	सं0	6.00	4359.60 4362.00
2	पौध का ढुलान कार्य	727	सं0	13.00	9445.80 9451.00
3	पौधों की लागत	727	सं0	11.00	7992.60 7997.00
4	पौध निराई–गुडाई कार्य करना। प्रथम	7266	सं0	2.05	14895.30 14895.30
5	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	6.605	है0	500.00	3302.50
	2.2 सुरक्षा दीवल के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना।	2.00	प्रति किमी0	471.00	942.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	-	ल0स0	72100.00	72100.00
6	रोपण वर्ष के उपरान्त अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.605	है0	595 Hec/Month	47159.70
7	अन्य व्यय	6.605	है0	3500.00	23117.50
	कुल योग–				183315.00 183327.00
	चतुर्थ वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है0	500.00	3302.50
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है0	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	-	–	ल0स0	80000.00
4	पौधों की निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	7266	सं0	2.05	14895.30
	योग				145357.50
	पंचम वर्ष				

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र गौचर

प्रपत्र–35

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में बकरियाबैण्ड से छिमटा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के ऐवज में दो गुने क्षेत्रफल 6.605 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम :–मल्ला चाँदपुर II – क0सं0 4 में 6.605है0।
रेंज :–धनपुर — प्रभाग का नामः– केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।
क्षेत्रफल :– 6.605है0 — रोपित किये जाने वाले पौधों की सं0 :–7266 पौध।

कंसं0	कार्य का विवरण (प्रथम वर्ष)	मात्रा	इकाई	इकाई दर	धनराशि
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है0	500.00	3302.50
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है0	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	80000.00
	योग				**130462.20**
	षष्ठम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.61	है0	500.00	3302.50
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	6.61	है0	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	80000.00
	योग				**130462.20**
	सप्तम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है0	500.00	3302.50
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है0	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	100000.00
	योग				**150462.20**
	अष्ठम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है0	500.00	3302.50
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है0	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	104780.00
	योग				**155242.20**
	नवम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है0	500.00	3302.50
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है0	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	85000.00
	योग				**135462.20**
	दशम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है0	500.00	3302.50
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है0	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	85000.00
	योग				**135462.20**
	2024648.87 महा योग				~~**2024636.87**~~
	किन्तु सीलिंग के अनुसार देय 2024649.00 देय धनराशि				**2024637.00**

= 6.605 X 3,06,531.00 = 2024637.05

जांच किया रूपये 2,02,4,637.00 मात्र के लिए।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
... वन क्षेत्र गोचर